इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 फरवरी 2021—माघ 30, शक 1942

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 5/6 फरवरी 2021

क्र. B-938.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 सहपठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 122 एवं धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, **मध्यप्रदेश मध्यस्थता नियम, 2016** में निम्नलिखित संशोधन करती है जिसका पूर्व प्रकाशन उक्त संहिता की धारा 122 के द्वारा यथाअपेक्षित अंतर्गत मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 4(ग), दिनांक 25 दिसम्बर 2020 में किया गया है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 में, उप-नियम (2) में, अंक तथा शब्द "10 वर्ष" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "5 वर्ष" स्थापित किए जाएं.

No. B-938.—In exercise of the powers conferred by Article 225 of the Constitution of India read with Section 122 and Section 128 of the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 5 of 1908), the High Court of Madhya Pradesh hereby, make the following amendment in the **Madhya Pradesh Mediation Rules, 2016,** the same having been previously published as required by Section 122 of the said Code in the Madhya Pradesh Gazette, Part IV (ग), dated 25th December, 2020, namely:—

AMENDMENT

In the said rules in Rule 6, in sub-rule (2), for the figure and word "10 years", the figure and word "5 years" shall be substituted.

राजेन्द्र कुमार वाणी, रजिस्ट्रार जनरल.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 2-2-2021-सात-शा.7 भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2021

प्रति,

कलेक्टर्स (समस्त)
मध्यप्रदेश.

विषयः मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 में किए गए संशोधनों तद्नुक्रम में जारी नवीन नियमों तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक 1, 3 आदि को समाप्त/संशोधित कर मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 द्वारा किए गए परिवर्तनों के संदर्भ में स्पष्टीकरण बाबत्।

.....

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020, जो दिनांक 25 सितम्बर, 2018 को लागू हुआ, द्वारा वृहद् संशोधन किया गया है, तदुपरांत दिनांक 12 फरवरी, 2020 को भी कतिपय संशोधन किए गए हैं। उक्त संशोधनों के पश्चात् संहिता के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए धारा 258 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए नियमों को भी, उक्त संशोधनों के अनुसरण में, नए सिरे से बनाया जाकर प्रभावशील किया जा चुका है। संहिता के महत्वपूर्ण संशोधन परिशिष्ट-क अनुसार हैं तथा तद्नुकम में बनाए गए पुनरीक्षित नियमों का विवरण परिशिष्ट-ख अनुसार है। राजस्व अधिकारियों से अपेक्षा है कि संहिता के अधीन की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां संहिता के मूल प्रावधानों एवं उनके अधीन बने नियमों के अनुसरण में सम्पन्न की जायें।

2/ प्रदेश के सभी राजस्व अधिकारियों को उक्त संशोधनों से अवगत कराने के लिए आर. सी.पी.व्ही. नरोन्हा प्रशासन अकादमी के माध्यम से अल्पकालीन प्रशिक्षण/कार्यशालायें आयोजित की गई हैं। मैदानी स्तर पर प्रावधानों के क्रियान्वयन की एकरूपता को दृष्टिगत रखते हुए यह परिपत्र जारी किया जा रहा है।

3/ **भूमि उपयोग में परिवर्तन.**— संशोधन अधिनियम, 2018 के पूर्व संहिता में भूमि उपयोग में व्यपवर्तन के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान धारा 172 में रहा है, जो अब विलोपित है और इसी संदर्भ में भूमि के उपयोग के अनुसार भू-राजस्व के निर्धारण के विस्तृत प्रावधान धारा 59 में किए गए हैं। इस हेतु मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 बनाए गए हैं। यहां यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि इसी संदर्भ में विभाग के निर्देश क्रमांक 2-12/2018/सात/शा.7 दिनांक 07 जून, 2019 भी जारी किए गए हैं। यद्यपि उक्त संशोधनों/निर्देशों द्वारा व्यपवर्तन के मामलों के विषय में विधि स्पष्ट है, तथापि निम्न बिन्दु स्पष्ट किए जाते हैं :—

(1) भूमि उपयोग के व्यपवर्तन के मामलों में वर्तमान प्रावधानों के अनुसार भूमिस्वामी को स्वनिर्धारण करते हुए व्यवर्तन करने की सुविधा प्रदान की गयी है। उपखंड अधिकारी को धारा 59 की उपधारा (7) में व्यपवर्तन की प्रज्ञापना प्राप्त होने पर